भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1442
बुधवार, दिनांक 31 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>आन्ध्र प्रदेश में पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जाकरण</u>

1442. श्री बस्तीपति नागराजू: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आन्ध्र प्रदेश में पीएम-कुसुम योजना के घटक-सी के अंतर्गत सौर ऊर्जा हेतु जिला-वार कितने ग्रिड से जुड़े कृषि पम्पों की पहचान की गई है;

(ख) गत वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश में ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सौर ऊर्जाकरण के लिए आवंटित और संवितरित निधि का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) आन्ध्र प्रदेश में प्रत्येक जिले में सौर ऊर्जाकरण की वर्तमान स्थिति क्या है और कितने पम्पों को सफलतापूर्वक सौर ऊर्जा से युक्त किया गया है और कितने पम्प कार्य कर रहे हैं; और

(घ) आन्ध्र प्रदेन में किसानों द्वारा अतिरिक्त सौर ऊर्जा को पूर्व-निर्धारित प्रशुल्क दरों पर डिस्कॉम को बेचने के लिए स्थापित किए गए तंत्र का ब्यौरा क्या है और इसमें क्या चुनौतियां है तथा इनके समाधान हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) से (घ): पीएम-कुसुम योजना एक मांग आधारित योजना है तथा राज्यों से प्राप्त मांगों के आधार पर आवंटन किए जाते हैं। पीएम-कुसुम के अंतर्गत आज तक आन्ध्र प्रदेश राज्य से कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है और इसलिए, कोई आवंटन नहीं किया गया और इस राज्य को कोई निधियाँ जारी नहीं की गई हैं। इसके अलावा, पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश राज्य में कोई स्थापनाएं पूरी नहीं की गई हैं।

*****